न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 15/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. पंकज राठी पुत्र नंद किशोर राठी (विक्रेता) मैसर्स महादेव एण्ड कम्पनी, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड शहर, जोधपुर। निवासी – मूथा का बास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर।
2. श्रवण पुत्र बंशीलाल (मालिक) मैसर्स महादेव एण्ड कम्पनी, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड शहर, जोधपुर। निवासी – रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश जोशी अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप शर्मा उपस्थित।

–:आदेश :– दिनांक :– 29.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.10.2017 को श्री राजेश टिंकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोन जोधपुर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर हाल चित्तौडगढ द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थीगण की फर्म – मैसर्स महादेव एण्ड कम्पनी, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड शहर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने के दौरान खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 10 किलोग्राम जो आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दो किलोग्राम हल्दीपाउडर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा हल्दीपाउडर 2 किलोग्राम को सटील की ट्रे में अच्छी तरह हिला–मिलाकर 4 साफ सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर मात्रा में डाला तथा शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–673 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–673 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार [illegible] चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एक [illegible] एक चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एडी–673 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि हल्दीपाउडर के चारों शिशियों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–673 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1041/एक्ट/2017/1042 दिनांक 08.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर नमूना Food containing extraneous matter पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) एवं धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–673 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश जोशी तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप शर्मा ने अपना वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकों को दिनांक 09.07.2019 को अंतिम मौका दिया गया तथा आवाजें लगवाई गई लेकिन अप्रार्थी संख्या एक के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी फैक्ट्री दिनांक 22.06.2017 से किराये पर दे रखी है, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के मध्य एक किराया इकरार नामा जो दिनांक 22.06.2017 को निष्पादित किया हुआ है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त फैक्ट्री में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं किया जा रहा था।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी पंकज राठी की फर्म मैसर्स महावीर गृह उद्योग, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड शहर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

जोधपुर पर दिनांक 15.10.2017 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ 10 किलोग्राम हल्दीपाउडर विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जाँच रिपोर्ट एलएस / 1041 / एक्ट / 2017 / 1042 दिनांक 08.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उपरोक्त खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर का नमूना जांच रिपोर्ट में Food containing extraneous matter due to addition of common salt पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) एवं धारा 54 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी फैक्ट्री अप्रार्थी संख्या 01 को किराये पर दी हुई है। जो सलंग्न किराया इकरार नामा से स्पष्ट होता है जिसकी तस्दीक नोटेरी पीपाड़ शहर द्वारा की गई है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है।

आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1042 दिनांक 08.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 54 का दोषी हैं। अप्राथी 1 पंकज राठी पर शास्ती रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अप्राथी संख्या 1 उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट / एडीएम(प्रथम) / 2019 / दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएँ, जोन जोधपुर।
3. पंकज राठी पुत्र नंद किशोर राठी (विक्रेता) मैसर्स महादेव एण्ड कम्पनी, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड शहर, जोधपुर। निवासी – मूथा का बास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested